

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA



ई-न्यूज़लेटर
E-NEWSLETTER



भादूविप्रा
TRAI

भादूविप्रा
TRAI

भादूविप्रा
TRAI

भादूविप्रा
TRAI

जून 2021



17 जून 2021 को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में, डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, ट्राई और एच.ई. चेंडा थोंग, अध्यक्ष, कंबोडिया के दूरसंचार नियामक (टेलिकम्यूनिकेशन रेगुलेटर ऑफ़ कंबोडिया) (TRC) के बीच आशय पत्र के रूप में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भादूविप्रा
TRAI


भादूविप्रा
TRAI

भादूविप्रा
TRAI

भादूविप्रा
TRAI

1. परामर्श पत्र

1.1 ट्राई ने 13 मई 2021 को "शुल्क ऑफर्स की वैधता अवधि" पर परामर्श पत्र जारी किया।



ट्राई को उपभोक्ताओं से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा मासिक पेशकश के बजाय 28 दिनों के लिए शुल्क पेशकश के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतों में कहा है कि इससे न केवल भ्रम होता है, बल्कि वे ठगा हुआ भी महसूस करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके सामने कठिनाइयां भी आती हैं क्योंकि उन्हें अंततः एक वर्ष में 13 मासिक रिचार्ज करने होते हैं, क्योंकि दी गई वैधता अवधि एक महीने के बजाय 28 दिन है। इस संबंध में उपभोक्ताओं में कितनी नाराजगी है, इसका अंदाजा इस मुद्दे पर कई आरटीआई/शिकायतों से भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ट्राई को दूरसंचार क्षेत्र में 28 दिनों को एक महीने के रूप में मानने के मुद्दे पर माननीय सांसदों से संसद के प्रश्न भी प्राप्त होते रहे हैं, जो इस मुद्दे से संबंधित चिंता को रेखांकित करता है।

वर्तमान नियामक ढांचे के अनुसार, टीएसपी को वैधता अवधि जैसे दिनों, हफ्तों, महीनों आदि के लिए शुल्क पेशकश की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जबकि यह देखा गया है कि टीएसपी पारदर्शी रूप से वैधता अवधि को 28 दिनों के रूप में प्रदान कर रहे हैं, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि उपभोक्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को उपभोक्ता की पसंद के पहलू से भी देखा जाना चाहिए।

इस संबंध में एक परामर्श पत्र को जारी किया गया है जिसमें हितधारकों से सुझाव मांगे गये है ताकि इस प्रकार के शुल्क पेशकशों की पहचान की जा सके और सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश शुल्क/वाउचर्स की संभावनाओं की खोज की जा सके और उन्हें उनकी वैद्यता के मुद्दों को व्यापक स्तर पर ग्राहकों की आकांक्षाओं/जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके और यदि आवश्यक हो तो इसके अनुसार ही विनियामक रूपरेखा को संशोधित किया जा सके।

परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 11 जून 2021 और 25 जून 2021 तक हितधारकों से आमंत्रित की जाती हैं। ओपन-हाउस चर्चा 28 जुलाई 2021 को आयोजित होनी है।



https://traigov.in/sites/default/files/CP_13052021.pdf

1.2 "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के लिए रूपरेखा" पर पूरक परामर्श पत्र

ट्राई को देश में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के संबंध में 12 मार्च 2021 को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ की पृष्ठभूमि और अतिरिक्त परामर्श पत्र जारी करने के कारण निम्नानुसार हैं:

ब्रॉडबैंड की व्यापक उपलब्धता और उपयोग के आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो गई है, और इसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन होगा। ब्रॉडबैंड सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 17 अप्रैल 2015 को सरकार को 'ब्रॉडबैंड की त्वरित डिलिवरी: हमें क्या करने की आवश्यकता है?' विषय पर अपनी सिफारिशें जारी कीं। इन सिफारिशों में से एक थी: 'फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड पर अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क से कम 5 वर्षों के लिए छूट दी जानी चाहिए।'

पूर्व की सिफारिशों पर विचार करते हुए डीओटी ने मौजूदा तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस शुल्क में छूट, लाइसेंसधारियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपयोग के लिए ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के द्वारा फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड के प्रसार को बढ़ावा देने की संभावना जैसे नए मुद्दों पर विचार करते हुए प्राधिकरण की संशोधित सिफारिशों की तलाश को आवश्यक महसूस किया।

चूंकि इन नए मुद्दों पर न तो 17 अप्रैल 2015 की सिफारिशों के समय हितधारकों के साथ स्पष्ट रूप से परामर्श किया गया था और न ही 20 अगस्त 2020 को 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप' पर हाल के परामर्श पत्र में; इसलिए फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए अपनी समेकित और नवीनतम सिफारिशें प्रदान करने के लिए उक्त मुद्दों पर एक पूरक परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

यह पूरक परामर्श पत्र 19 मई 2021 को जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां मांगी गई थीं।



https://traigov.in/sites/default/files/CP_19052021.pdf

2. टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन

2.1 31 मार्च 2021 को टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े:

विवरण	वायरलेस	वयरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	645.20	18.57	663.77
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	535.75	1.67	537.42
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	1180.95	20.24	1201.19
समग्र टेलीफोन घनत्व (%)	86.68	1.49	88.17
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.63	91.76	55.26
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	45.37	8.24	44.74
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन में)	755.35	22.75	778.09

मार्च 2021 में पीक वी.एल.आर. की तिथि को 993.92 मिलियन एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर थे।

मार्च 2021 में 12.74 मिलियन ग्राहकों ने एमएनपी के लिए अनुरोध किया था। मार्च 2021 के अंत तक कुल 576.67 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया है।

3. अन्य जानकारी

3.1 डिजिटल संचार में उपलब्धि



ट्राई ने 31 मई 2021 को वर्ष 2014 से 2020 की अवधि में हुई 'डिजिटल संचार में उपलब्धि' नामक पुस्तिका को जारी किया।

इसमें डिजिटल संचार में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है:

- भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले अवसरों की अधिकता।
- सकल घरेलू उत्पाद में दूरसंचार क्षेत्र का योगदान।
- कोविड-19 महामारी के लिए मजबूत पूर्व उपाय और कोविड-19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत हिस्से सक्षम करना।
- भारतीय किसानों के जीवन में सुधार।
- दूरस्थ चिकित्सा नियुक्तियाँ।
- मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को मजबूत करना।
- प्रसारण में उपभोक्ता की पसंद को बढ़ाना।
- वायरलेस टेली-घनत्व में वृद्धि।

पूर्ण विवरण ट्राई वेबसाइट पर उपलब्ध है:


https://traigov.in/sites/default/files/ADC_31052021.pdf



3.2 उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण

उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना ट्राई के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

ट्राई उपभोक्ता संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को समय-समय पर 'उपभोक्ता संगठन पंजीकरण विनियमन, 2013' दिनांक 21 फरवरी 2013 के तहत उपभोक्ता समर्थक समूहों के रूप में पंजीकरण करता है। ये नियम अन्य बातों के साथ पात्रता मानदंड, प्रक्रिया और उपभोक्ता संगठनों से अपेक्षित भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं।



पंजीकरण की यह योजना हाल ही में चयनित राज्यों के लिए खोली गई है। उपभोक्ताओं के हित के लिए काम कर रहे उपभोक्ता संगठनों से ट्राई में पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक संगठन अपने आवेदन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संयुक्त सलाहकार (सीए), ट्राई (मुख्यालय) को भेज सकते हैं। वे आवेदनों की स्कैन की हुई कॉपी jaca@traigov.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2021 है। विस्तृत जानकारी ट्राई की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम पर उपलब्ध है:

<https://www.trai.gov.in/consumer-info/telecom/consumer-groups>



https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Scheme_Registration_CAG.pdf



<https://tra.gov.in/sites/default/files/201302210758166133991Regulation%20-%201%20of%202013%20-%20English1.pdf>



3.3 प्रसारण और केबल सेवा पर उपभोक्ता पुस्तिका

ट्राई ने 'प्रसारण और केबल सेवा' पर नई उपभोक्ता पुस्तिका जारी की।

ट्राई समय-समय पर प्रसारण और केबल क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ता-केंद्रित मुद्दों पर विनियम, निर्देश और आदेश जारी करता रहा है। उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों को इन उपायों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इन पहलों से अवगत कराया जाए।

ट्राई ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए एक नया व्यापक नियामक ढांचा अधिसूचित किया था, जो 29 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ था। चैनल/सेवाओं के समूह को चुनने के मामले में पारदर्शिता, अर्थात् ग्राहक जो देखना चाहता है और केवल उसी के लिए भुगतान करना चाहता है इस ढांचे का मूल आधार रहा है। ट्राई एक नई उपभोक्ता पुस्तिका लेकर आया है जो देश भर में इस ढांचे के कार्यान्वयन के माध्यम से ट्राई द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में टीवी ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी। उपभोक्ता पुस्तिका का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस पुस्तिका को व्यापक प्रसार के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और उपभोक्ता समर्थक समूहों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया गया है।



https://tra.gov.in/sites/default/files/Handbook_04052021_1.pdf



https://traigov.in/sites/default/files/Handbook_04052021_Hindi.pdf

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.traigov.in पर भी उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड) नई दिल्ली-110002

हम फेसबुक पर भी हैं! जुड़िये हमारे साथ!



<https://www.facebook.com/TRAI/>

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ!



[@TRAI](https://twitter.com/TRAI)